

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 22/2019

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी-

1. सत्यनारायण पुत्र भीखसिंह जाति
राजपुरोहित निवासी फूलासर हाल
राईकों का गोलिया, समदडी जिला
बाड़मेर (मैसर्स जोधपुर स्वीट एण्ड
नमकीन, गौर का चौक, समदडी
जिला बाड़मेर का मैनेजर)
2. पुष्पा कंवर पत्नि भीखसिंह जाति
राजपुरोहित निवासी फूलासर हाल
राईकों का गोलिया, समदडी जिला
बाड़मेर (मैसर्स जोधपुर स्वीट एण्ड
नमकीन, गौर का चौक, समदडी
जिला बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(i) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सत्यनारायण, अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।



आदेश

दिनांक : 25.09.2019

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(i) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स जोधपुर स्वीट एण्ड नमकीन, गौर का चौक, समदडी जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 01.11.2018 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ मिठाई (गुलाब जामुन) (मावे, शक्कर एवं देशी घी से निर्मित) एक थाल में लगभग कुल 15 कि0ग्रा0 रखा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार मिठाई (गुलाब जामुन) (मावे, शक्कर एवं देशी घी से निर्मित) 2 किलोग्राम वास्ते

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-966 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ मिठाई (गुलाब जामुन) (मावे, शक्कर एवं देशी घी से निर्मित) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मिठाई (गुलाब जामुन) (मावे, शक्कर एवं देशी घी से निर्मित) का नमूना अवमानक (Sub-standard) पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा जांच रिपोर्ट के संबंध में कोई प्रतिवाद नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(i) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी संख्या 1 दौरान सुनवाई स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म स्वीकार किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित। इस पर प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 21.12.2018 में उक्त नमूना अवमानक स्तर का पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया किंतु अप्रार्थी द्वारा प्रतिरक्षण के रूप में जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। इससे जाहिर है कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नहीं है साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जुर्म स्वीकार किया गया है। लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(i) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।
4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 स्वीकारोक्ति एवं प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 5000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड




न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 25.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राकेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर